वित्त निर्देश 11/2007

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
दाऊ कल्याणसिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 86 /93/वित्त/नियम/चार/2007, रायपुर, दिनांक 17.04.2007

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ ।

विषयः -लंबित पेंशन प्रकरणों के निराकरणार्थ जन्मतिथि की मान्यता ।

शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण की दृष्टि से वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी.-25/29/94/पी.डब्ल्यू.सी./चार, दिनांक 1.7.1995 तथा ज्ञापन क्रमांक बी-25/29/94/पी.डब्ल्यू.सी./चार, दिनांक 23.8.1996 द्वारा शासकीय कर्मचारियों के सेवा पुस्तिका में जन्मतिथि की कांट-छांट के प्रकरणों में जन्मतिथि को मान्यता प्रदाय करने का अधिकार संबंधित संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन को प्रत्यायोजित किये गये हैं ।

राज्य शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि उक्त प्रत्यायोजन के बाबजूद कुछ विभागों द्वारा जन्मतिथि के मान्यता के प्रकरणों को निबटानें में पर्याप्त रूचि नहीं ली जा रही है, जिसके फलस्वरूप इन प्रकरणों के निराकरण में अनावश्यक विलंब होता है ।

ऐसे लंबित प्रकरणों के निराकरण के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 31.12.2006 तक सेवानिवृत्त राज्य शासन के कर्मचारियों के प्रकरण में जिस जन्मतिथि के आधार पर कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की गई है उसी को प्रमाणित मानकर पेंशन प्रकरण को अंतिम रूप से निराकृत कर दिया जाये । भविष्य में ऐसे प्रकरणों में विलंब को राज्य शासन द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा, तथा विलंब हेतु जिम्मेदारी निर्धारित की जाकर विभागीय कार्यवाही की जाएगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.के.चक्रवर्ती)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्रमांक 87/93/वित्त/नियम/चार/2007, रायपुर, दिनांक 17 अप्रैल, 2007

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. सचिव वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, मंत्रालय, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर
14. संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, रायपुर/बिलासपुर एवं जगदलपुर, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र को वित्त विभाग की बेबसाइट (www.cgfinance.nic.in) में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(अमिताभ शर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग